

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 15TH May, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 15TH May, 1998

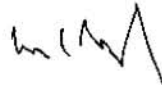
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O. 194(E) dated the 13th March, 1995 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 9, Disability awareness and Rehabilitation in the Community and detection through screening of new born in six hospitals and 3 monthly training centres of grass root level workers in 'Early Detection' at MGR Chengalpattu district, Tamilnadu of The Spastics Society of Tamilnadu, Centre for Special Education, Oppt.T.T.T.I., Taramani Road, Chennai-13, Tamilnadu as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Disability awareness and Rehabilitation in the Community and detection through screening of new born in six hospitals and 3 monthly training centres of grass root level workers in 'Early Detection' at MGR Chengalpattu district, Tamilnadu of The Spastics Society of Tamilnadu, Centre for Special Education, Oppt.T.T.T.I., Taramani Road, Chennai-13, Tamilnadu, at the estimated cost of rupees thirteen lakh forty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.


(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10591
F.No. NC-29/98

भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड 1 में दिनांक
15 मई, 1998 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

अधिसूचना

सं० आ०-----[अ] आयकर अधिनियम 1961, 1961 का 43 की धारा 35 क म के स्वच्छीकरण के खण्ड 11 के साथ पठित उपधारा 11 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 13 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं० सं० आ० 194[अ] के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, ^{कम से 9 पर} स्टाटिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु के एम जी आर वैमलपट्ट जिन्ने में समुदाय का पुनर्वास तथा विकसनीयता के प्रति जागरूकता एवं छः अस्पतालों में अवगत शिक्षाओं की जांच द्वारा बता लगाता तथा सामान्य स्तर के कार्यकर्ताओं को "शीघ्र बता लगावे" वाले त्रैमासिक प्रशिक्षण केन्द्रों की मात्र परियोजना या रकम के रूप में वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीस वर्षों की अवधि के लिए विविर्दिष्ट किया था ।

और इस परियोजना या रकम के तीस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ।

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना

अथवा रकम उपयुक्त रूप से बिम्बादित की जा रही है, आयकर विनियम, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा रकम के आगे और तीस वर्ष की अवधि के लिए विविर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

अब अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961, 1961 का 43 की धारा 35 क म के स्वच्छीकरण के खण्ड 11 के साथ पठित उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केवल चालीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्टाटिक सोसायटी ऑफ तमिलनाडु, सेन्टर फॉर स्वेल्थ एजुकेशन, टी०टी०टी० आई के सामने, तारामणि रोड, चेन्नई 13, तमिलनाडु की तमिलनाडु के वैमलपट्ट जिन्ने में सामुदायिक पुनर्वास एवं उसमें विकसनीयता के प्रति जागरूकता तथा छः अस्पतालों में अवगत शिक्षाओं

की जाँच द्वारा पता लगाना तथा सामान्य कार्यकर्ताओं को शीघ्र पता लगाने वाले त्रैमासिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परियोजना या स्कीम को वास्तविक परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीस निर्धारण वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।



। वी० के० सहमत ।

उप-सचिव, भारत सरकार

सं० 10591

का० सं० राष्ट्रीय समिति 29/98